



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपकम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: 2999-पारे०अनु०-16 / पाट्राकालि-2018-74 / 2013

दिनांक: 18 अगस्त, 2018

निदेशक
पेशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन,
लखनऊ

निदेशक,
कोषागार,
कोषागार निदेशालय,
लखनऊ

निदेशक
वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय,
जवाहर भवन,
लखनऊ

विषय:- उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिलो के पेशनरों/पारिवारिक पेशनरों को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेशन/पारिवारिक पेशन पर दिनांक 01 जनवरी, 2018 से बढ़ी हुई दर से महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के अधीन निर्गत शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार संशोधित/स्वीकृति पेशन/पारिवारिक पेशन पर दिनांक 01 जनवरी, 2018 से महंगाई राहत की एक और किश्त 02 प्रतिशत की दर से दिये जाने की स्वीकृति वित्तीय (सामान्य), अनुभाग-3, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-11/2018/सा-3-271/दस-2018-301/2000 टी०सी, दिनांक 23.04.2018 द्वारा प्रदान की गयी है। राज्य सरकार के पेशनरों को अनुमन्य महंगाई राहत में उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलवरूप पेशन पर अनुमन्य महंगाई राहत की दर 05 प्रतिशत से बढ़कर दिनांक 01 जनवरी, 2018 से 07 प्रतिशत हो गई है।

2. उक्त के अनुक्रम में उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिलो के पेशनरों/पारिवारिक पेशनरों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से देय पुनरीक्षित पेशन/पारिवारिक पेशन पर महंगाई राहत की दरें उपर्युक्त शासनादेश की अनुरूपता में निम्नवत् अनुमान्य कराये जाने की रवीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रम संख्या	महंगाई राहत अनुमन्यता की तिथि	बढ़ी हुई महंगाई राहत की देय किश्त की दर	महंगाई राहत की देय कुल दर
1.	01 जनवरी, 2018	02 प्रतिशत	07 प्रतिशत

3. महंगाई राहत की ऐरी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नजर अंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे या आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में मान लिया जायेगा।

4. दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित अनन्तिम पेशन पर भी उपर्युक्तानुसार महंगाई राहत अनुमन्य होगी।

5. पूर्ववर्ती परिषद के कायांलय ज्ञाय संख्या-1054-डब्लू०सी/राविप-आ०सं०-19-14(23)एफ-85, दिनांक 16.06.1998 में निर्गत आदेशानुरार पेशन पर उक्त अतिरिक्त महंगाई राहत के भुगतान के लिये उप महाप्रबन्धक (लेखा) / उपमुख्य लेखाधिकारी / लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेशन भुगतान अधिकारियों/कोषागारों द्वारा यथा रिथ्ति के अनुसार, अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान उपरोक्त बिन्दु-01 से 04 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।


6. महंगाई राहत की रवीकृति हेतु पूर्व निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या : 2999(1)–पारे०अनु०–१६ / पाकालि / १८–७४ / २०१३ / तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र०।
4. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/मुख्य अधिकारी/अधीक्षण अधिकारी, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
6. समस्त जिलाकोषाधिकारी, उ०प्र०।
7. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. समस्त अधिकारी अधिकारी, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
9. समस्त उपमहाप्रबन्धक/उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पैशन), लखनऊ।
11. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
12. अधिकारी अधिकारी (सं०) निदेशक (आपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब-साइट www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।
16. कट फाइल।

१५५४४४१२८

(हुक्म प्रकाश)
अधिकारी अधिकारी